सरकार्वाई

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकाम

बनाम

नं. नाम

प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

II फैसला

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी एवं इनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आए बार-बार आवाजें लगवाई गई फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुए इसलिए विपक्षी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस को सुना गया वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 34 रकबा 1.3717 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की है जिसमे प्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है तथा प्रार्थी संख्या-2 का भी 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है जो वादग्रस्त है जिस पर विपक्षीगण ने जबरन कब्जा कर लिया है उसको हटाया जावे निवेदन किया गया है। पत्रावली का एवं संलग्न राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर परीक्षण किया गया परीक्षण उपरान्त पाया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी नम्बर 134 रकबा 1.3717 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है इसलिए विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के ल्यवगन आदेश से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी में मूल वाद के निस्तारण होने तक किसी प्रकार का कोई निर्माण कर वर्तमान भौतिक स्थिति में परिवर्तन नहीं करें किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उप खण्ड अधिकारी
डूंगला

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड ... डूंगला जि. चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.04.15 12:53:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner